न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 77/2025 निर्णय दिनांकः– 23-03-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/144)

1. मोहनराम पुत्र श्री लच्छाराम जाति भील निवासी चिंचडली तहसील व जिला जोधपुर।

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 16–02–1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इ.गा.न.प. बीकानेर कैम्प खाजूवाला

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, इ.गा.न.प. बीकानेर कैम्प खाजूवाला के आदेश दिनांक 16–02–1982 जिसके द्वारा अपीलांट को सक्षमता के मुताबिक आवंटन नही किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालाय के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को दिनांक 18–03–1976 को 25 बीघा भूमि आवंटन का पात्र माना गया। इसके पश्चात अपीलांट को चक 1 एम.डी.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/24 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि विवादग्रस्त होने के कारण अपीलांट को उपरोक्त भूमि का आवंटन खारिज करते हुए चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 234/1 में 7 बीघा कमाण्ड व 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया जबकि अपीलांट को 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। परन्तु अपीलांट को केवल 16 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर ही आवंटन किया गया। अपीलांट शेष 9 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन करवाने का पात्र है। अपीलांट ने कई बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभी हाल ही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को भूमि आवंटन करने से मना कर दिया और कहा कि हमने आपकी पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपीलांट का सक्षम आदेश आज दिन भी प्रभावी है। तथा उक्त आदेश पूर्ण जांच करने के पश्चात ही पारित किया गया है। सक्षम आदेश के प्रभाव में रहते हुए अपीलांट सक्षमता की सीमा तक भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है। अपीलांट 25 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन का पात्र था, मगर अपीलांट को हाल तहसील पूगल के चक 660–500 आर.डी. का मुरब्बा नंबर 234/1 में 7 बीघा कमाण्ड व 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया, वो भी सक्षमता के मुताबिक नहीं किया गया है। अपीलांट की सक्षम पात्रता का आदेश आज दिन भी स्टैण्ड करता है तथा पात्रता के अनुसार पात्रता की सीमा तक आवंटन कराने का सक्षम पात्र है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट के पीठ पीछे बिना नोटिस व सूचना दिये पारित किया गया है, ऐसा आदेश एवं अदालत मातहत की कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम के तहत पढ़ी नहीं जा सकती, इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नहीं दिया गया और अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो का उल्लंघन किया है। अपीलाधीन आदेश साईक्लो स्टाईल आदेश है, तथा स्पीकिंग ऑर्डर की तारीक में नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट को पात्रता के अनुसार भूमि आवंटन की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन करने हेतु प्रार्थना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट को 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया तथा दिनांक 24–03–1976 को अपीलांट को चक 1 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 203/24 की 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 16–02–1982 में यह अंकित किया गया कि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित रकबा विवादग्रस्त होने से पुनः विशेष लौटरी निकाली गई। प्रार्थी को विशेष लोटरी से चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 234/1 में किला नम्बर 12, 15 ता 24 कुल 7 बीघा कमाण्ड, 1 ता 11, 13 ता 18, 25 कुल 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था परन्तु अपीलांट को 7 बीघा कमाण्ड व 18 बीघा अनकमाण्ड यानि 16 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर ही आवंटन किया गया जबकि अपीलांट 25 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का अधिकारी था।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था परन्तु अपीलांट को चक 660–500 आर.डी. के मुरब्बा नम्बर 234/1 में किला नम्बर 12, 15 ता 24 कुल 7 बीघा कमाण्ड, 1 ता 11, 13 ता 18, 25 कुल 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या खारिजी आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट का आवंटन कभी खारिज हुआ हो। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को आदेशिका दिनांक 18–03–1976 द्वारा कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था। परन्तु आदेश दिनांक 16–02–1982 द्वारा उसे केवल 7 बीघा कमाण्ड व 18 बीघा अनकमाण्ड यानि 16 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर ही आवंटन किया गया। इस स्थिति में अपीलांट को सक्षमता के अनुरूप भूमि का आवंटन नही किया जाना प्रकट होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः इस स्थिति में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 23-03-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर